भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 5246
02 अप्रैल, 2025 के लिए प्रश्न

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत लाभार्थी

5246. डॉ. एम. के. विष्णु प्रसाद:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत चार वर्षों के दौरान तमिलनाडु सहित देश के विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की जिलावार संख्या कितनी है;

(ख) 1 जनवरी, 2020 से आज की तिथि तक, देश में उक्त योजना के अंतर्गत वितरित खाद्यान्न और आबंटित निधि का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) लॉकडाउन के दौरान खाद्यान्न के निःशुल्क वितरण की घोषणा के बाद से आबंटित और वितरित खाद्यान्न की मात्रा कितनी है तथा इससे तमिलनाडु में राज्यवार और जिलेवार कितने लोग लाभान्वित हुए हैं?

उत्तर
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री
(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क): पिछले चार वर्षों के दौरान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए) के तहत कवर किए गए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार लाभार्थियों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ख): वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक एनएफएसए और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के अंतर्गत खाद्यान्नों के आबंटन का ब्यौरा **अनुबंध-II** में दिया गया है।

भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एनएफएसए के अंतर्गत नि:शुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है, जिसके लिए खाद्य सब्सिडी भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) को जारी की जाती है। केवल उन राज्यों के मामले में, जो विकेन्द्रीकृत खरीद (डीसीपी) में भाग लेते हैं, जिसके तहत राज्य सरकार खाद्यान्न की खरीद और पात्र परिवारों को इसके वितरण की जिम्मेदारी लेती है, वह खाद्य सब्सिडी सीधे राज्य सरकारों को जारी की जाती है। वित्त मंत्रालय द्वारा स्कीम-वार निधि का समग्र रूप से आबंटन किया जाता है। खाद्य सब्सिडी के लिए कोई राज्यवार निधि आवंटन नहीं होता है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा आबंटित और जारी की गई खाद्य सब्सिडी को दर्शाने वाला विवरण **अनुबंध-III** में दिया गया है और वर्तमान वर्ष सहित वित्त वर्ष 2020-21 से 2023-24 तक खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा डीसीपी राज्यों को जारी की गई राज्यवार निधियों का विवरण **अनुबंध -III क** में संलग्न है।

...2/-

केंद्र सरकार "एनएफएसए के तहत खाद्यान्नों के अंतरा-राज्यीय संचलन और उचित दर दुकान (एफपीएस) डीलरों के मार्जिन हेतु राज्य एजेंसियों को सहायता" स्कीम के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्रीय सहायता भी प्रदान करती है। इस स्कीम के तहत पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई निधियों को दर्शाने वाला विवरण **अनुबंध -IIIख** में दिया गया है।

(ग): कोविड-19 प्रकोप के मद्देनजर, केंद्र सरकार ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को लगभग 80 करोड़ व्यक्तियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत खाद्यान्न आबंटित किया है, ताकि एनएफएसए के अंतर्गत कवर किए गए लाभार्थियों (अर्थात अंत्योदय अन्न योजना और प्राथमिकता श्रेणी के परिवारों) में वितरण किया जा सके। पीएमजीकेएवाई के अंतर्गत, एनएफएसए के तहत कवर किए गए परिवारों को 5 किलोग्राम खाद्यान्न (चावल/गेहूं) प्रति व्यक्ति प्रति माह नि:शुल्क प्राप्त करने के पात्र हैं। पीएमजीकेएवाई के तहत खाद्यान्नों की पात्रता एनएफएसए के तहत उनकी मौजूदा पात्रता के अतिरिक्त है (अर्थात् चावल/गेहूं/मोटे अनाज के लिए 3/2/1 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से अंत्योदय अन्न योजना परिवारों को प्रति माह 35 किलोग्राम खाद्यान्न और प्राथमिकता श्रेणी के परिवारों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न)।

इसके अतिरिक्त, आर्थिक उपायों (आत्मनिर्भर भारत) के भाग के रूप में, मई और जून 2020 माह के लिए, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उन प्रवासी श्रमिकों, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 या किसी अन्य राज्य स्कीम पीडीएस कार्ड के अंतर्गत कवर नहीं किए जाते हैं, के लिए नि:शुल्क खाद्यान्न आबंटित किया गया था। ऐसे लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्राप्त करने की पात्रता थी। ऐसे लाभार्थियों को चिह्नित करने और उन्हें खाद्यान्न वितरण की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की थी।

*****

अनुबंध-I

"राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत लाभार्थी" के संबंध में लोक सभा में दिनांक 02.04.2025 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 5246 के भाग (क)में उल्लिखित अनुबंध।

देश में पिछले चार वर्षों के दौरान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए) के तहत कवर किए गए व्यक्तियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या दर्शाने वाला विवरण।

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कवर किये गये लाभार्थियों की वास्तविक संख्या (लाख में)			
		दिनांक 31.03.2021 तक	दिनांक 31.03.2022 तक	दिनांक 31.03.2023 तक	दिनांक 31.3.2024 तक
1	आंध्र प्रदेश	268.22	268.22	268.22	268.22
2	अरुणाचल प्रदेश	8.40	8.40	8.40	8.40
3	असम	250.30	251.17	251.17	251.17
4	बिहार	871.16	871.16	871.16	871.16
5	छत्तीसगढ़	200.77	200.77	200.77	200.77
6	दिल्ली	72.78	72.78	72.78	72.78
7	गोवा	5.32	5.32	5.32	5.32
8	गुजरात	341.71	345.15	344.15	351.60
9	हरियाणा	126.49	126.49	126.49	126.49
10	हिमाचल प्रदेश	28.64	28.64	28.64	28.64
11	झारखंड	263.70	264.26	264.19	264.19
12	कर्नाटक	401.93	401.93	401.93	401.93
13	केरल	154.80	154.80	154.80	154.80
14	मध्य प्रदेश	470.47	482.59	511.32	534.79
15	महाराष्ट्र	700.17	700.17	700.17	700.17
16	मणिपुर	18.60	19.97	20.08	20.08
17	मेघालय	21.46	21.46	21.46	21.46
18	मिजोरम	6.68	6.68	6.81	6.83
19	नागालैंड	14.05	14.05	14.05	14.05
20	ओडिशा	324.33	324.15	325.03	325.98
21	पंजाब	141.51	141.51	141.51	141.45
22	राजस्थान	440.01	440.01	440.01	440.01
23	सिक्किम	3.79	3.79	3.81	3.81
24	तमिलनाडु	364.69	364.69	364.12	364.12
25	तेलंगाना	191.62	191.62	191.62	191.62
26	त्रिपुरा	24.83	24.83	24.43	24.43
27	उत्तर प्रदेश	1465.94	1487.44	1497.77	1505.19
28	उत्तराखंड	61.94	61.94	61.94	61.94
29	पश्चिम बंगाल	601.84	601.84	601.84	601.84
30	अंडमान व निकोबार	0.61	0.61	0.61	0.61
31	दादरा व नगर हवेली एवं दमन व दीव	2.86	3.02	2.69	2.69
32	लक्षद्वीप	0.22	0.22	0.22	0.22
33	चंडीगढ़ (डीबीटी)	2.80	2.76	2.99	2.99
34	पुदुचेरी (डीबीटी)	6.30	6.23	6.34	6.34
35	जम्मू और कश्मीर	72.41	72.41	72.41	72.41
36	लद्दाख	1.44	1.44	1.44	1.44
कुल		**7932.80**	**7972.53**	**8010.70**	**8049.94**

*****

अनुबंध-II

"राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत लाभार्थी" के संबंध में लोक सभा में दिनांक 02.04.2025 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 5246 के भाग (ख)में उल्लिखित अनुबंध।

वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक एनएफएसए और पीएमजीकेएवाई के तहत खाद्यान्न का आबंटन

(हजार टन में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कोविड-19 और एनएफएसए के दौरान पीएमजीकेएवाई की शुरुआत की गई			कोविड-19 के बाद पीएमजीकेएवाई	
		2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
1	आंध्र प्रदेश	2944.764	3347.062	3078.839	1849.78	1849.776
2	अरुणाचल प्रदेश	121.837	135.215	126.811	57.33	57.335
3	असम	2700.441	3075.715	2825.381	1628.93	1631.749
4	बिहार	8998.984	10318.499	9447.336	5527.10	5527.100
5	छत्तीसगढ़	2187.136	2488.291	2287.521	1384.06	1384.056
6	दिल्ली	741.623	848.972	776.203	448.78	448.803
7	गोवा	79.453	88.315	82.993	34.40	34.398
8	गुजरात	3708.539	4060.090	3737.056	2211.23	2263.346
9	हरियाणा	1300.960	1490.695	1364.205	795.00	795.000
10	हिमाचल प्रदेश	622.598	665.565	636.921	202.29	206.347
11	झारखंड	2794.315	3176.358	2932.342	1751.02	1751.993
12	कर्नाटक	4216.521	4819.435	4417.521	2608.84	2608.836
13	केरल	2015.174	2276.450	2121.650	1025.52	1025.519
14	मध्य प्रदेश	5628.957	5820.086	5474.418	3436.08	3493.795
15	महाराष्ट्र	7405.871	8456.112	7755.939	4605.19	4605.188
16	मणिपुर	261.124	236.936	226.433	136.29	138.037
17	मेघालय	262.119	294.301	272.846	140.73	140.733
18	मिजोरम	92.487	102.510	95.828	47.54	48.720

19	नगालैंड	194.245	215.316	201.269	91.59	91.585
20	ओडिशा	3475.529	4027.313	3712.353	2251.62	2253.205
21	पंजाब	1435.920	1648.442	1506.929	870.12	870.120
22	राजस्थान	4574.553	5190.652	4750.640	2770.58	2770.584
23	सिक्किम	59.476	65.157	61.370	26.37	26.374
24	तमिलनाडु	5107.100	5683.567	5318.874	2569.53	2572.807
25	तेलंगाना	2104.480	2391.920	2200.299	1296.05	1291.814
26	त्रिपुरा	370.981	407.976	381.929	164.34	164.585
27	उत्तराखंड	750.786	843.669	781.721	401.46	401.458
28	उत्तर प्रदेश	15239.813	17908.657	16583.448	9935.48	9950.393
29	पश्चिम बंगाल	6377.971	7280.727	6678.889	3970.62	3970.620
30	अंडमान व निकोबार	31.992	32.905	32.297	4.37	4.374
31	चंडीगढ़	10.676	15.107	12.379	0.00	0.000
32	दादरा व नगर हवेली एवं दमन व दीव	27.374	30.984	28.456	15.13	15.128
33	जम्मू व कश्मीर	1024.116	1132.913	1060.502	468.80	468.797
34	लद्दाख	22.183	24.341	22.902	9.44	9.444
35	लक्षद्वीप	5.500	5.821	5.601	1.52	1.522
36	पुदुचेरी	25.315	34.396	28.219	0.00	0.000
	कुल	86920.913	98640.469	91028.319	52737.13	52873.540

*****

अनुबंध-III

"राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत लाभार्थी" के संबंध में लोक सभा में दिनांक 02.04.2025 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 5246 के भाग (ख)में उल्लिखित अनुबंध।

वित्त वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक एनएफएसए/पीएमजीकेएवाई के तहत एफसीआई और डीसीपी राज्यों को खाद्य सब्सिडी के तहत डीएफपीडी द्वारा आबंटित और जारी की गई निधि का विवरण निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	**एफसीआई को जारी निधि (करोड़ रुपए में)**	**डीसीपी राज्यों को जारी की गई निधि (करोड़ रुपए में)**
2020-21	*462789.00	**66901.77**
2021-22	208929.00	**79789.54**
2022-23	200219.20	**72282.49**
2023-24	139661.03	**71732.82**
2024-25 (दिनांक 17.03.2025 तक)	126568.47	**60291.95**

* 2020-21 में एफसीआई को आबंटित निधि में से **3,39,236** करोड़ रुपये का उपयोग एफसीआई द्वारा लिए गए संपूर्ण एनएसएसएफ ऋण को चुकाने के लिए किया गया।

अनुबंध- III क

"राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत लाभार्थी" के संबंध में लोक सभा में दिनांक 02.04.2025 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 5246 के भाग (ख) में उल्लिखित अनुबंध।

वर्तमान वित्त वर्ष सहित वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक डीसीपी राज्यों को प्रतिपूर्ति की गई खाद्य सब्सिडी की राशि का विवरण (करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25 (दिनांक 17.03.2025 तक)
1	आंध्र प्रदेश	8424.72	9323.38	6635.97	6268.19	7537.18
2	बिहार	4117.33	7671.9	10966.1	6557.64	8589.72
3	छत्तीसगढ़	7193.13	9047.77	7574.81	5236.13	4896.74
4	गुजरात	9.24	749.43	311.54	267.83	138.87
5	हिमाचल प्रदेश*	-	-	-	47.38	-
6	झारखंड*	3.66	-	-	42.77	502.99
7	कर्नाटक	323.99	1682.12	2191.75	1222.13	1281.18
8	केरल	1214.98	1777.86	1544.89	1151.85	1062.36
9	मध्य प्रदेश	11946.44	14420.62	9471.5	16939.27	9104.69
10	महाराष्ट्र	2555.74	4082.07	2725.75	3923.29	327.74
11	ओडिशा	8985.73	7892.69	7600.05	14473.68	6779.3
12	पंजाब	1761.53	2047.53	1202.49	2064.56	1397.04
13	तमिलनाडु	3109.76	6250.93	8685.95	7072.53	5120.43
14	तेलंगाना	6879.59	7665.02	5242.76	5367.07	3684.55
15	त्रिपुरा	29.79	15.58	148.67	106.51	35.79
16	उत्तराखंड	1371.33	1554.43	1212.25	724.39	755.49
17	पश्चिम बंगाल	8792.03	5421.34	6580.11	-	8899.88
18	**डीबीटी****	182.78	186.87	187.9	267.6	178.00
	कुल	**66901.77**	**79789.54**	**72282.49**	**71732.82**	**60291.95**

*हिमाचल प्रदेश ने वर्ष 2023-24 में डी.सी.पी. मोड को अपनाया है और झारखंड ने केवल कुछ जिलों के लिए डी.सी.पी. मोड को अपनाया है।

**वर्ष 2015-16 से डीबीटी योजना के अंतर्गत, चंडीगढ़, पुदुचेरी तथा दादरा व नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्रों को सब्सिडी जारी की जाती है।

अनुबंध- III ख

"राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत लाभार्थी" के संबंध में लोक सभा में दिनांक 02.04.2025 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 5246 के भाग (ख) में उल्लिखित अनुबंध।

वर्ष 2020-21 से 2024-25 के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत "खाद्यान्नों के अंतरा-राज्यीय संचलन और हैंडलिंग तथा उचित दर दुकान के डीलरों के मार्जिन पर व्यय को पूरा करने के लिए राज्य एजेंसियों को सहायता स्कीम" के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई निधि।

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जारी की गई निधि (करोड़ में)				
		2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
1	आंध्र प्रदेश	271.76	122.37	91.73	105.44	165.68
2	अरुणाचल प्रदेश	0.80	0.00	44.19	8.39	31.32
3	असम	368.08	545.75	826.91	321.75	443.68
4	बिहार	796.58	743.27	881.05	434.73	807.42
5	छत्तीसगढ़	124.07	72.48	181.88	355.06	84.38
6	दिल्ली	4.15	26.27	48.88	0.00	74.40
7	गोवा	3.15	2.66	4.69	5.67	0.00
8	गुजरात	285.75	309.46	260.20	124.37	474.39
9	हरियाणा	19.23	178.23	43.26	45.78	301.99
10	हिमाचल प्रदेश	2.79	17.69	188.03	29.58	42.74
11	झारखंड	170.94	282.50	187.02	99.64	100.74
12	कर्नाटक	84.39	764.16	354.89	148.70	112.18
13	केरल	23.53	121.00	110.03	403.63	67.93
14	मध्य प्रदेश	634.60	129.13	844.50	234.66	247.90
15	महाराष्ट्र	501.91	289.72	621.69	703.54	765.26
16	मणिपुर	21.63	81.19	31.54	36.46	0.00
17	मेघालय	104.61	38.78	79.78	20.59	22.72
18	मिजोरम	11.08	7.71	12.57	0.00	6.54
19	नागालैंड	15.63	8.15	61.06	31.42	30.74
20	ओडिशा	18.44	294.18	110.86	872.57	141.02
21	पंजाब	9.24	51.08	0.00	50.06	0.00
22	राजस्थान	374.02	585.84	406.77	479.15	263.05
23	सिक्किम	5.85	7.59	12.33	3.85	226.57
24	तमिलनाडु	54.32	131.65	543.01	145.90	3.85
25	तेलंगाना	253.36	69.18	147.95	378.50	524.60

26	त्रिपुरा	30.50	64.53	49.15	23.92	111.84
27	उत्तर प्रदेश	1520.57	195.77	1325.40	3213.86	29.97
28	उत्तराखंड	6.04	67.19	379.83	58.71	614.57
29	पश्चिम बंगाल	626.64	741.32	535.06	226.32	106.01
30	अंडमान व निकोबार	0.06	0.00	0.00	0.00	698.67
31	चंडीगढ़	0.16	0.37	0.00	0.00	0.00
32	दादरा व नगर हवेली एवं दमन व दीव	0.43	1.01	1.55	0.87	0.00
33	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34	पुदुचेरी	0.36	2.25	2.13	0.00	0.00
35	जम्मू व कश्मीर	137.85	47.51	184.08	139.96	89.82
36	लद्दाख	0.00	0.00	0.00	1.38	0.00
कुल जारी निधि		**6482.54**	**6000.00**	**8572.03**	**8704.46**	**6589.96***

*** दिनांक 27.03.2025 तक**

*****